अध्यक्ष
**अनिल त्रिपाठी**
Mob.- 9425882830

उपाध्यक्ष
**दानवेन्द्र सिंह**
Mob.- 9693616058

सचिव
**मनीष यादव**
Mob.- 9981427475

सह सचिव
**रविन्द्र बिरथरे**
Mob.- 9713212412

कोषाध्यक्ष
**राजेन्द्र शर्मा (पटेरिया)**
Mob.- 9685601722

पुस्तकालय अध्यक्ष
**सौरभ शर्मा**
Mob.- 6268540894

कार्यकारिणी सदस्य
**काशीराम अहिरवार**
Mob.-7024155454
**प्रसन्न राघव बरदिया**
Mob.-6265886182
**ज्योति यादव**
Mob.-9770971983
**राजीव खरे**
Mob.-8085155811
**सुमित कुमार जैन**
Mob.-9893583493

क्रमांक-

दिनांक.....

प्रति

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर म0प्र0।

विषय – जिला न्यायालय में पदस्थ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया के आचरण से संबंधित शिकायत।

महोदय,

निवेदन है कि श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ के विरूद्ध टीकमगढ जिला के अनेक लोगों द्वारा उनके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में शिकायतें प्रस्तुत की गई जिन पर कोई निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हुई, न्याय में सीमा से बाहर जाकर कार्यवाही की जाना न्याय के स्वरूप को बदल देना ही माना जाएगा। उनके विरूद्ध उनके आचरण के संबंध में शिकायतें बिन्दुबार निम्न है:-

1) जिला न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के द्वारा श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया के विरूद्ध महिला कर्मचारियों द्वारा मोलेस्ट्रेशन की शिकायत एवं उन्हें प्रताडित किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी हेमलता पाठक एवं मीरा त्रिपाठी के द्वारा बंगले पर कार्य करने के दौरान उनको मोलेस्ट्रेशन किए जाने के गंभीर आरोप लगाते हुए माननीय उच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए जस्टिस श्रीमति अनुराधा शुक्ला को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था जिसमें उनके द्वारा हेमलता पाठक व मीरा त्रिपाठी के कथन लेखबद्ध किए गए थे। जिसमें उन दोनों के द्वारा मोलेस्ट्रेशन के गंभीर आरोप लगाए थे।

# जिला अभिभाषक संघ, टीकमगढ़ (म.प्र.)


अध्यक्ष
**अनिल त्रिपाठी**
Mob.- 9425882830

उपाध्यक्ष
**दानवेन्द्र सिंह**
Mob.- 9693616058

सचिव
**मनीष यादव**
Mob.- 9981427475

सह सचिव
**रविन्द्र बिरथरे**
Mob.- 9713212412

कोषाध्यक्ष
**राजेन्द्र शर्मा (पटैरिया)**
Mob.- 9685601722

पुस्तकालय अध्यक्ष
**सौरभ शर्मा**
Mob.- 6268540894

कार्यकारिणी सदस्य
**काशीराम अहिरवार**
Mob.-7024155454
**प्रसन्न राघव बरदिया**
Mob.-6265886182
**ज्योति यादव**
Mob.-9770971983
**राजीव खरे**
Mob.-8085155811
**सुमित कुमार जैन**
Mob.-9893583493


क्रमांक-

दिनांक.....

2) जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया के कार्यकाल के दौरान पारित निर्णय के संदर्भ में ऐसी जन चर्चाए है कि जिला टीकमगढ न्यायालय में अनुचित लाभ प्राप्त कर कुछ निर्णयों को प्रभावित किया गया है जिससे संबंधित पक्षकारों के द्वारा उक्त मामलों में माननीय उच्च न्यायालय में शिकायतें दर्ज कराई गई थी माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के निम्न निर्णय संदेह के घेरे में है।

a) शासन मध्यप्रदेश बनाम मुन्ना पठान बगैरह एसटी नं0 200/2022 निर्णय दिनांक 03/02/2024 उक्त मामले में सजा के लघुकरण करने में आरोपीगण से अनुचित लाभ लिया गया है व इस मामले मे जो कि धारा 364, 365 भा0द0वि0 के अधीन था व गंभीर मामला होने के बावजूद आरोपीगण की जमानत श्री सिसोदिया के द्वारा दी गई थी जबकि श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया के द्वारा छोटे छोटे मामलों में जमानते निरस्त की जाती रही है जिसकी शिकायत मामले के फरियादी रोहित उर्फ हैप्पी नायक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में की गई थी। (निर्णय संलग्न)

b) माननीय सिसोदिया जी के द्वारा एक पुनरीक्षण याचिका जो कि नीतू सिंह (सब इंस्पेक्टर), कपिल बनाम रियाज खान सीआरआर नं0 132/2023 निर्णय दिनांक 16/07/2024 जो कि उक्त दिनांक को अंतिम तर्क के लिए नियत था जिसमें उत्तरवादी रियाज खान न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहा जिसमें न ही पुकार लगाई और न ही उसके अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गए और उसी दिन उक्त पुनरीक्षण में निर्णय पारित कर दिया गया। जिसमें सब इंस्पेक्टर नीतू सिंह धाकड़ व आरक्षक कपिल शर्मा को उन्मोचित कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध परिवादी अब्दुल रियाज

अध्यक्ष
अनिल त्रिपाठी
Mob.- 9425882830

उपाध्यक्ष
दानवेन्द्र सिंह
Mob.- 9693616058

सचिव
मनीष यादव
Mob.- 9981427475

सह सचिव
रविन्द्र बिरथरे
Mob.- 9713212412

कोषाध्यक्ष
राजेन्द्र शर्मा (पटैरिया)
Mob.- 9685601722

पुस्तकालय अध्यक्ष
सौरभ शर्मा
Mob.- 6268540894

कार्यकारिणी सदस्य
काशीराम अहिरवार
Mob.-7024155454
प्रसन्न राघव बरदिया
Mob.-6265886182
ज्योति यादव
Mob.-9770971983
राजीव खरे
Mob.-8085155811
सुमित कुमार जैन
Mob.-9893583493

क्रमांक-

दिनांक...............................

खान के द्वारा निर्णय की शिकायत जिला अधिवक्ता संघ को की गई। उक्त निर्णय में प्रधान सत्र न्यायाधीश के द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण से अनुचित लाभ प्राप्त कर उनके पक्ष में निर्णय किया गया। उक्त निर्णय की संबीक्षा किया जाना जांच का विषय है। (शिकायत संलग्न)

c) इसी प्रकार श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया के द्वारा सीआरआर क्र0 33/2024 एन.एस. यादव (सब इंस्पेक्टर) बनाम गंगू सेन निर्णय दिनांक 04/09/2024 में जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा मामला माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को पुन: प्रत्यावर्तित किया गया था और माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी टीकमगढ के द्वारा प्रथम दृष्टया भा0द0वि0 की धारा 306 के तहत सब इंस्पेक्टर एन0एस0 यादव के विरूद्ध संज्ञान लिया गया था जिसके विरूद्ध उनके द्वारा एक पुनरीक्षण याचिका प्रधान सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जिसमें निर्णय के पूर्व ही यह चर्चा का विषय था कि उक्त मामले में पुनरीक्षण याचिका स्वीकार होना है और दिनांक 04/09/2024 को प्रधान न्यायाधीश के द्वारा उक्त पुनरीक्षण याचिका स्वीकृत कर ली गई और आरोपीगण के विरूद्ध लिया गया संज्ञान अपास्त कर दिया गया और पुनरीक्षण याचिका में पारित निर्णय दुर्भावना एवं अनुचित लाभ प्राप्त कर किया गया है क्योंकि उक्त मामले में यह चर्चा का विषय है कि पूर्व में ही एन0एस0 यादव के द्वारा सत्र न्यायाधीश महोदय से संपर्क स्थापित कर लिया है और निर्णय सब इंस्पेक्टर के पक्ष में ही आवेगा।(निर्णय संलग्न)

d) इसी प्रकार श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया के द्वारा एक आपराधिक अपील विजय तेवरिया बनाम प्रदीप भदौरा बगैरह में पारित निर्णय संपूर्ण जिले में चर्चा का विषय रहा है। उक्त मामले में फरियादी पक्ष

# जिला अभिभाषक संघ, टीकमगढ़ (म.प्र.)


अध्यक्ष
**अनिल त्रिपाठी**
Mob.- 9425882830

उपाध्यक्ष
**दानवेन्द्र सिंह**
Mob.- 9693616058

सचिव
**मनीष यादव**
Mob.- 9981427475

सह सचिव
**रविन्द्र बिरथरे**
Mob.- 9713212412

कोषाध्यक्ष
**राजेन्द्र शर्मा (पटैरिया)**
Mob.- 9685601722

पुस्तकालय अध्यक्ष
**सौरभ शर्मा**
Mob.- 6268540894

कार्यकारिणी सदस्य
**काशीराम अहिरवार**
Mob.-7024155454
**प्रसन्न राघव बरदिया**
Mob.-6265886182
**ज्योति यादव**
Mob.-9770971983
**राजीव खरे**
Mob.-8085155811
**सुमित कुमार जैन**
Mob.-9893583493


क्रमांक-

दिनांक.....

एवं आरोपीगण दोनों ही टीकमगढ शहर के धनाड्य व्यवसायी है। उपरोक्त मामले में प्रदीप भदौरा एवं अन्य (आरोपीगण) से मामले को निपटाने के लिए सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा संपर्क स्थापित कर धन की मांग की गई और मामले में कई बार न्यायालय की सुनवाई की तारीखों को बढाया गया किन्तु जब आरोपीगण के द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कोई समुचित जवाब नही दिया व पूर्ति नहीं की तब ऐसी जन सामान्य में चर्चा है कि फरियादी पक्ष से अनुचित लाभ लेकर जिस मामले में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा एवं जुर्माना से दंडित किया गया था उक्त मामले में प्रदीप भदौरा एवं अन्य को 04 वर्ष की सजा से दंडित कर उन्हें जेल भेज दिया गया। उक्त मामले में माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया है जिसकी शिकायत प्रदीप भदौरा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में की गई और जिला अधिवक्ता संघ को भी शिकायत प्रेषित की गई है। (शिकायत संलग्न)

e) इसी प्रकार श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया के द्वारा नियमित सिविल अपील 37/2023 श्रीमति शशि तिवारी बनाम विजय सिंह सोलंकी बगैरह निर्णय दिनांक 25/04/2024 को निर्णय पारित किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर शशि तिवारी की अपील स्वीकार की गई है जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा जो अनुतोष अपील में नहीं चाहा गया था वह अनुतोष अपीलार्थी शशि तिवारी को प्रदान किया गया है उक्त निर्णय भी आम जनमानस में चर्चा का विषय है। उपरोक्त माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की छवि एवं उनके द्वारा दिए जाने वाले निर्णय विवादास्पद हैं। उनके उक्त मामलों के साथ साथ उनके कार्यकाल में

अध्यक्ष
**अनिल त्रिपाठी**
Mob.- 9425882830

उपाध्यक्ष
**दानवेन्द्र सिंह**
Mob.- 9693616058

सचिव
**मनीष यादव**
Mob.- 9981427475

सह सचिव
**रविन्द्र बिरथरे**
Mob.- 9713212412

कोषाध्यक्ष
**राजेन्द्र शर्मा (पटैरिया)**
Mob.- 9685601722

पुस्तकालय अध्यक्ष
**सौरभ शर्मा**
Mob.- 6268540894

कार्यकारिणी सदस्य
**काशीराम अहिरवार**
Mob.-7024155454
**प्रसन्न राघव बरदिया**
Mob.-6265886182
**ज्योति यादव**
Mob.-9770971983
**राजीव खरे**
Mob.-8085155811
**सुमित कुमार जैन**
Mob.-9893583493

क्रमांक-

दिनांक.....

दिए जाने वाले निर्णयों की समीक्षा किया जाना नितांत आवश्यक है। (निर्णय संलग्न)

3) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के सम्माननीय सदस्यों को कोई आमंत्रण नहीं दिया गया और न ही उन्हें कार्यक्रम में बुलाया गया जबकि पूर्व में ऐसी परंपरा रही है कि राष्ट्रीय पर्व पर अधिवक्ता संघ एवं कर्मचारी संघ के द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय पर्व का आयोजन कराया जाता था किन्तु श्री सिसोदिया के द्वारा अधिवक्ताओं को लज्जित करने के आशय से उन्हें कोई आमंत्रण नहीं दिया गया जबकि उनके द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। इस प्रकार सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा कई अवसरों पर अधिवक्ता संघ के सदस्यों को अपमानित किया जाता है और उनका रवैया अधिवक्ताओं के विरूद्ध नकारात्मक रहा है। मजबूरन राष्ट्रीय पर्व जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर अधिवक्ताओं को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित न करना, उनका तानाशाही पूर्ण रवैया प्रदर्शित करता है जिसकी शिकायत जिला अधिवक्ता संघ टीकमगढ के द्वारा पूर्व में श्रीमान के समक्ष एवं माननीय न्यायधिपति महोदय के समक्ष की जा चुकी है।
(शिकायत संलग्न)

4) यह कि दिनांक 14/09/2024 को वृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया था जिसमें श्रीमन प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा जिला अधिवक्ता संघ से अधिवक्ताओं की पैनल/सुलहकर्ता के लिए नाम आहूत किए गए थे जिसमें अधिवक्ता संघ/अध्यक्ष द्वारा विधिक सहायता अधिकारी को नामों की सूची दिनांक 09/09/2024 को सौंप दी गई थी किन्तु श्री

अध्यक्ष
**अनिल त्रिपाठी**
Mob.- 9425882830

उपाध्यक्ष
**दानवेन्द्र सिंह**
Mob.- 9693616058

सचिव
**मनीष यादव**
Mob.- 9981427475

सह सचिव
**रविन्द्र बिरथरे**
Mob.- 9713212412

कोषाध्यक्ष
**राजेन्द्र शर्मा (पटेरिया)**
Mob.- 9685601722

पुस्तकालय अध्यक्ष
**सौरभ शर्मा**
Mob.- 6268540894

कार्यकारिणी सदस्य
**काशीराम अहिरवार**
Mob.-7024155454
**प्रसन्न राघव बरदिया**
Mob.-6265886182
**ज्योति यादव**
Mob.-9770971983
**राजीव खरे**
Mob.-8085155811
**सुमित कुमार जैन**
Mob.-9893583493

क्रमांक-

दिनांक.....

सिसोदिया जी द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री वरुण पुनासे पर दबाव डालकर उपरोक्त सूची में से 08 वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नाम हटवा दिए गए और श्री सिसोदिया के द्वारा अपने इच्छानुसार 08 कनिष्ठ अधिवक्ताओं के नाम जोड दिए गए। इस प्रकार उनके द्वारा संघ के सीनियर अधिवक्ताओं को अपमानित किया गया। और इसकी शिकायत सचिव श्री वरुण पुनासे से किए जाने पर उनके द्वारा व्यक्त किया गया कि लोक अदालत में सुलहकर्ताओं के नाम प्रधान न्यायाधीश के द्वारा जुडवाए व हटवाए गए हैं, अधिवक्ता संघ के द्वारा सौंपी गई सूची में से 08 वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नाम उन्हें अपमानित करने के उद्देश्य से श्री सिसोदिया द्वारा हटवाए गए हैं व जानबूझकर अधिवक्ता संघ की आंतरिक राजनीति में उनके द्वारा दखल दिया जा रहा है और संघ एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अपमानित करने का काम किया गया है।

5) यह कि जिला न्यायालय टीकमगढ में पदस्थ प्रधान न्यायाधीश श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया जी की कार्यशैली अपने अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के प्रति भी उदारवादी नहीं है और न्यायिक अधिकारियों को भी उनके द्वारा तरह तरह से प्रताडित करने व उनके न्यायिक कार्यों में भी हस्ताक्षेप किया जाता है और ऐसी आम जनमानस में चर्चा है कि उनकी कार्यशैली से न्यायिक अधिकारियों में भय व्याप्त है एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जतारा में पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री हरिशचन्द्र पटेल की मृत्यु भी संदेह के घेरे में है और जिसके मूल में प्रधान न्यायाधीश ही एक कारण है। न्यायिक अधिकारी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जतारा की मृत्यु के कुछ दिन पूर्व जतारा में पदस्थ चिकित्सक डॉ0 सुरेश शर्मा के द्वारा अपनी सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली गई

अध्यक्ष
**अनिल त्रिपाठी**
Mob.- 9425882830

उपाध्यक्ष
**दानवेन्द्र सिंह**
Mob.- 9693616058

सचिव
**मनीष यादव**
Mob.- 9981427475

सह सचिव
**रविन्द्र बिरथरे**
Mob.- 9713212412

कोषाध्यक्ष
**राजेन्द्र शर्मा (पटैरिया)**
Mob.- 9685601722

पुस्तकालय अध्यक्ष
**सौरभ शर्मा**
Mob.- 6268540894

कार्यकारिणी सदस्य
**काशीराम अहिरवार**
Mob.-7024155454
**प्रसन्न राघव बरदिया**
Mob.-6265886182
**ज्योति यादव**
Mob.-9770971983
**राजीव खरे**
Mob.-8085155811
**सुमित कुमार जैन**
Mob.-9893583493


क्रमांक-

दिनांक.....

थी और ऐसा सुनने में है कि उनके द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट्स कोर्ट में श्री हरिशचन्द्र पटेल के नाम का लेख था इसकी जानकारी होने पर श्री सिसोदिया के द्वारा उक्त सुसाइड नोट को व्हाट्सएप पर मंगा कर श्री हरिशचन्द्र पटेल से उनके आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए कहा गया और न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का भय दिखा कर उन्हें प्रताड़ना दी गई और उसी दबाव एवं तनाव के कारण श्री हरिशचन्द्र पटेल जिनकी उम्र मात्र 43 वर्ष के लगभग थी और जो कि ईमानदार और न्यायप्रिय अधिकारी थे, को हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गई। उपरोक्त परिस्थितियों में श्री हरिशचन्द्र पटेल की मृत्यु की निष्पक्ष जांच कराई जाना न्यायोचित है जिसमें श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया की भूमिका अत्यंत संदेहास्पद है।

6) माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया की अपनी अधीनस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के प्रति इनका व्यवहार अनुचित एवं दमनकारी है। उनके द्वारा अपने कार्यकाल में प्रत्येक माह कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाता है और उनसे अनुचित लाभ प्राप्त करने की आशा रखते है। उनकी आशानुरूप काम करने वाले कर्मचारियों को यथोचित स्थान पर नियुक्त कर दिया जाता है व ऐसे कर्मचारी जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते है उन्हें निवाडी, जतारा एवं ओरछा स्थानांतरित कर दिया जाता है। साथ ही उनके कार्यकाल में लगभग आठ दस कर्मचारियों की विभागीय जांच को स्थापित किया गया है और लगभग

# जिला अभिभाषक संघ, टीकमगढ़ (म.प्र.)


अध्यक्ष
**अनिल त्रिपाठी**
Mob.- 9425882830

उपाध्यक्ष
**दानवेन्द्र सिंह**
Mob.- 9693616058

सचिव
**मनीष यादव**
Mob.- 9981427475

सह सचिव
**रविन्द्र बिरथरे**
Mob.- 9713212412

कोषाध्यक्ष
**राजेन्द्र शर्मा (पटैरिया)**
Mob.- 9685601722

पुस्तकालय अध्यक्ष
**सौरभ शर्मा**
Mob.- 6268540894

कार्यकारिणी सदस्य
**काशीराम अहिरवार**
Mob.-7024155454
**प्रसन्न राघव बरदिया**
Mob.-6265886182
**ज्योति यादव**
Mob.-9770971983
**राजीव खरे**
Mob.-8085155811
**सुमित कुमार जैन**
Mob.-9893583493


क्रमांक-

दिनांक.....

दस पंद्रह कर्मचारियों की विभागीय जांच को लंबित रखा गया है जिसमे जिला न्यायालय के अधीनस्थ कर्मचारी भी भय के अधीन कार्य कर रहे है।

7) जिला न्यायालय टीकमढ में पदस्थ प्रधान न्यायाधीश श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया का परिवार ग्वालियर में निवास करता है। और जुगल सविता जो कि जिला न्यायालय टीकमगढ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पदस्थ है और श्री सिसोदिया के द्वारा उसे अपने परिवार के साथ ग्वालियर में रखते है और उसकी उपस्थिति टीकमगढ जिला न्यायालय में दर्ज करा दी जाती है। इस तरह शासन के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों से शासकीय कार्य न लेकर अपने परिवार के साथ उनकी सेवा के लिए रखा जाता है जो कि कदाचरण की परिधि में आता है।

8) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के कार्यकाल में न्यायालय परिसर में वकीलों पर पक्षकारों के द्वारा हमला किया गया और उन्हीं अधिवक्ताओं जिन पर हमला किया गया उन्ही के विरूद्ध आपराधिक मामले पंजीबद्ध कर दिए गए। उपरोक्त आपराधिक मामलों में जबकि अधिवक्ता अपना बचाव की मुद्रा में थे किन्तु ऐसी जानकारी है कि अप्रत्यक्ष रूप मे अधिवक्ताओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने में श्री सिसोदिया जी की भूमिका रही है।

9) जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा टीकमगढ जिले में पदस्थ तहसीलदार गोविन्द्र सिंह जिनके ऊपर अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते रहे है और जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा 14 अगस्त 2024 को तहसीलदार गोविन्द्र सिंह के विरूद्ध आंदोलन किया गया था और कलेक्ट्रेट का घेराव अधिवक्ताओं के द्वारा किया गया था और घेराव करने के 1 घंटे बाद सायं 05.15 मिनट पर तहसीलदार गोविन्द्र सिंह

# जिला अभिभाषक संघ, टीकमगढ़ (म.प्र.)

अध्यक्ष
**अनिल त्रिपाठी**
Mob.- 9421882830

उपाध्यक्ष
**दानवेन्द्र सिंह**
Mob.- 9693616058

सचिव
**मनीष यादव**
Mob.- 9981427475

सह सचिव
**रविन्द्र बिरथरे**
Mob.- 9713212412

कोषाध्यक्ष
**राजेन्द्र शर्मा (पटेरिया)**
Mob.- 9685601722

पुस्तकालय अध्यक्ष
**सौरभ शर्मा**
Mob.- 6268540894

कार्यकारिणी सदस्य
**काशीराम अहिरवार**
Mob.-7024155454
**प्रसन्न राघव बरदिया**
Mob.-6265886182
**ज्योति यादव**
Mob.-9770971983
**राजीव खरे**
Mob.-8085155811
**सुमित कुमार जैन**
Mob.-9893583493

क्रमांक-  दिनांक.....

न्यायालय में लगभग 1 घंटे तक जिला सत्र न्यायाधीश श्री सिसोदिया जी के चेम्बर में मौजूद रहे जिसके साक्षी जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य है।

10) इसी प्रकार रवि कुमार गुप्ता थाना प्रभारी थाना देहात के विरूद्ध अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया गया था उपरोक्त रवि कुमार गुप्ता को भी बचाने एवं उन्हें संरक्षण प्रदान करने का कार्य श्री सिसोदिया जी के द्वारा किया गया है और पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी जिन पर जनसामान्य के लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए जाते है ऐसे अधिकारियों को संरक्षण देने का कार्य श्री सिसोदिया जी के द्वारा किया जाता है। जिससे आम जनमानस में न्यायपालिका की छवि लगातार धूमिल हो रही है और न्याय के प्रति विश्वास में गिरावट देखी जा रही है एवं टीकमगढ शहर में प्रधान सत्र न्यायाधीश की छवि एक निष्पक्ष और ईमानदार न्यायिक अधिकारी की नहीं है।

अत: श्रीमान से विनय है कि उपरोक्त परिस्थियों के आलोक में श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया के विरूद्ध की गई उपर्युक्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाकर इनके कठोर शिक्षाप्रद कार्यवाही किए जाने की कृपा की जावे जिससे न्यायपालिका की छवि जनमानस का विश्वास एवं उसके प्रति आस्था बनी रहे।

दिनांक:-.....

स्थान :- टीकमगढ

अध्यक्ष/सचिव
जिला अधिवक्ता संघ टीकमगढ म0प्र0